विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987
1987 का 39 नं.
(जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित है
(नं. 59/1994) (11 अक्टूबर 1987)

समाज के कमजारे वर्गो को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त कर पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करें, लोक अदालत आयोजित करने के लिए अधिनियम.भारत गणराज्य के 38 वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय– 1प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभः–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 हैं.
(2) इसका विस्तार, जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर हैं.
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा कि जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियम की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं.

परिभाषाएं :–

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः–

> **(क)** ''मामला'' के अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही हैं;
> **(कक)** '' केन्द्रीय प्राधिकरण'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;
> **(ककक)** ''न्यायालय'' से कोई सिविल दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण हैं;
> **(ख)** '' जिला प्राधिकरण'' से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;
> **(खख)** ''उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति'' से धारा 8 क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत हैं;
> **(ग)** '' विधिक सेवा'' के अंतर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी हैं ;
> **(घ)** ''लोक अदालत'' से अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है;
> **(ड)** ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत हैं;
> **(च)** ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
> **(चच)** ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
> **(छ)** ''स्कीम'' से केन्द्रीय प्राधिकरण, किसी राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए

तैयार की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है;
(ज) ''राज्य प्राधिकरण'' से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत हैं ;
(झ) ''राज्य सरकार'' के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी हैं
(ञ) ''उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति'' से धारा 3क के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;
(ट) ''तालुक विधिक सेवा समिति'' से धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत हैं.

(2) इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियमित या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश का किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबन्ध नही है यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबन्ध के यदि कोई हो, प्रति निर्देश हैं.

अध्याय 2 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन :–

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन केन्दीय प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय गठित करेगी जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा.
(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा,
(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा, और
(ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव ओर ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाए

(3) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उसे समनुर्दिष्ट किए जाएं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में एक ऐसे व्याक्ति की नियुक्त करेंगी जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं .
(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्ते वे होगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार, द्वारा विहित की जाएं.
(5) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निवर्हन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाए.
(6) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होगे ओर सेवा कि ऐसी अन्य शर्तो के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाए.
(7) केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत प्राधिकरण के सदस्य–सचिव, अधिकारियों

और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, भारत की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे.
(8) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य–सचिव द्वारा या उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत उच्च प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.
(9) केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि केन्द्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.

3क. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितिः–

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जायेंगे, एक समिति का गठन करेगा, जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा.
(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगेः–

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष होगा; और
(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं.

(3) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इस समिति के सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं.
(4) समिति के सदस्यों ओर सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्ते वे होंगी जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं .
(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जिनसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं.
(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तो के अधीन होगें जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श विहित की जाएं.

4. केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य

केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा अर्थात्–
(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत अधिकथित करना;
(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रायोजन के लिए अत्याधिक प्रभावी और कम खर्चीली स्कीमें तैयार करना;
(ग) उसके व्ययनाधीन निधि का उपयोग करना ओर राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण को निधि का आवंटन करना;
(घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का समाज के कमजोर वर्गो के लिए विशेष महत्व वाले किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमें के रूप में आवश्यक कदम उठाना, ओर इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना
(ड.) ग्रामीण क्षेत्रो, गंदी बस्तियों या श्रमिक कालोनियों में सामाज के कमजोर वर्गो को उनके अधिकार तथा साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझााने के लिए प्रोत्सहित करने हेतु शिक्षित प्रयोजन करने के दोहरे प्रयोजन से विधिक सहायता कैम्प आयोजित करना;
(च) बातचीत, माध्यस्थम और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना;
(छ) विधिक सेवाओं के क्षेत्र में निर्घनों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में, अनुसंधान करना और उनका संर्वधन करना;
(ज) संविधान के भाग 4क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक बातें करना ;

(झ) कालिक अंतराल पर विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानिटर करना और उसका मूल्यांकन करना और इस अधिनियम के अधीन उपबंधित निधि के पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना;
(ञ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके व्ययनाधीन रखी गई रकमों में से विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान देना
(ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श से वैज्ञानिक विधिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन का संवर्घन करना तथा विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिकों की स्थापना और उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना
(ठ) लोगों के बीच विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता के प्रसार और विशिष्टतः समाज के कमजोर वर्गो को, सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा गारन्टी किए गए अधिकारियों, फायदों और विशेषाधिकारी के बारे में साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और अभ्युपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना
(ड) मूलभूत स्तर पर, विशिष्टत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्यरत स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना; और
(ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यकरण को संभावित और मानिटर करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना

5. केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना :—

केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी और गैर—सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्घन के कार्य में लगी अन्य (संस्थाओं) के समन्वय से कार्य करेगा ।

अध्याय 3—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

6. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठनः—

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा.
(2) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः—

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा;
(ख) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो मुख्य संरक्षक होगा;
(ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो उस सरकार द्वारा विहत किए जाएं, या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, रोज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य प्राधिकरण का सदस्य—सचिव नियुक्त करेगी.

परन्तु राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति उस प्राधिकरण के सदस्य–सचिव के रूप में पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह इस उपधारा के अधीन उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित न हों.
(4) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों ओर सदस्य–सचिव की पदावधियां और संबंधित अन्य शर्ते वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं .
(5) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्विहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं ।
(6) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होगें और सेवा की ऐसी अन्य शर्तो के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित हो जाएं.
(7) राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते ओर पेंशन भी हें, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जांएगे .
(8) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य–सचिव द्वारा या राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत राज्य प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।
(9) राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नही होगी कि राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि हैं.

7. राज्य प्राधिकरण के कृत्यः–

(1) राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करें .
(2) राज्य प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्

(क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित मानदंडों की पूर्ति करते हें;
(ख) लोक अदालतों का जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालते भी हें, संचालन करना;
(ग) निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, और
(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श विनियमों द्वारा, नियत करें.

8. राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों आदि के साथ समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना :–

राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर–सरकारी स्वैच्छिक समाज या संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धन के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य संवर्धन के कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय समुचित रूप से कार्य करेगा ओर ऐसे निर्देशों से भी मार्गदर्शित होगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण लिखित रूप में दें.

8 क. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितिः–

(1) राज्य प्राधिकरण, ऐसी शक्तियां का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए , जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, प्रत्येक उच्च न्यायलय के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे–

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष हों, और
(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनिमयों द्वारा अवधारित की जाएं

(3) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.
(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्ते वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं.
(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं.
(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तो के अधीन होंगे । राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं.

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :–

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा.
(2) जिला प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) जिला न्यायाधीश जो उसका अध्यक्ष होगा और
(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उस सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) राज्य प्राधिकरण, उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो ऐसे अध्यक्ष द्वारा उसे समुनदिष्ट किए जांए, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को जो जिला न्यायापालिका के स्थान में कार्य कर रहे अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा.
(4) जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं.
(5) जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं.
(6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तो के अधीन होगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं.
(7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे.
(8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत उस प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी, द्वारा अधिप्रमाणित किए जांएगे.

(9) जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नही होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति हैं या उसके गठन में कोई त्रुटि हैं.

10. जिला प्राधिकरण के कृत्य :–

(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करें जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं.
(2) जिला प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन कर सकेगा,अथार्त्–

(क) तालुक विधि सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,
(ख) जिला के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और
(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य प्राधिकरण, विनियमों द्वारा नियत करें.

11. जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण, आदि द्वारा किए गए निर्देशों के अधीन होगा :–

जिला प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धनों को विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्धन कार्य में लगी अन्य संस्थाओं के समन्वय से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं.

11क. तालुक विधिक सेवा समितिः–

(1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुक या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा ।
(2) यह समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(क) इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा, और
(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव ओर ऐसी अर्हताएं हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएं.

(3) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उते अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं.
(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तो के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के विहित की जाएं.
(5) समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जाएंगे.

11ख. तालुक विधिक सेवा समिति के कृत्य :–

तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्–
(क) तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना.
(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और
(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समनदिष्ट करें,

12. विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड़ : —

प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्तिः—
(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेकार का सताया हुआ हैं,
(ग) स्त्री या बालक है
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ हैं.

नोट : संसद द्वारा अधिनियम क्रमांक 1996—1 जो कि भारत के असाधारण राजपत्र भाग—।। के संस्करण क्रमांक 1 दिनांकित 1.1.96 में प्रकाशित हुआ, के आधार पर निम्न संशोधन जोडा गया हैं :—

(1) एक निर्योग्य व्यक्ति जैसा कि समान अवसर संरक्षण अधिनियम 1995 की धारा 2 के खण्ड 1 में परिभाषित हैं.
(2) संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 निम्नानुसार निर्योग्यताएं परिभाषित करता हैं:—
(अ) निर्योग्यताएं से तात्पर्य हैं कि :—
(प) अन्धत्व,
(पप) कमजोर दृष्टि
(पपप) कुष्ठ रोग
(पअ) श्रवण हास
(अ) चलने संबंधी निर्योग्यता
(अप) मानसिक रूकावट
(अपप) मानसिक अस्वस्थता
(ड) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ, सूखा, भूंकप या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है, या
(च) कोई आद्योगिक कर्मकार है, या
(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या
(ज) ऐसा व्यक्ति है, जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रूपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो राज्य सरकार द्वारा विहत की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रूपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए; वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा हैं.

13. विधिक सेवा के लिए हक :—

(1) वे व्यक्ति, जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंडो में से सभी या किसी को पूरा करते हैं, विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे परन्तु यह तब जबकि संबंधित प्राधिकरण या यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजित या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला हैं.
(2) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथपत्र, विधिक सेवा के हक के लिए उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकरण के पास ऐसे शपथपत्र अविश्वास करने का कारण न हो.

अध्याय 5—वित्त, लेखा और संपरीक्षा

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान :—
केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि में किए गए सम्यक विनियोजन के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान के रूप में उतनी धनराशि संदत्त करेगी जितनी केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग मे ंलाई जाने के लिए ठीक समझे ।

15. राष्ट्रीय विधिक सहायकता निधि :—

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा और उस निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी अर्थात्—

(क) धारा 14 के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदत्त सभी धनराशि,
(ख) कोई ऐसा अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को दिए जाएं,
(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त की गई रकम.

(2) राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित विधिक सेवाओं के खर्चे, जिसके अंतर्गत राज्य प्राधिकरण को दिए गए अनुदान भी हैं,
(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च.
(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केन्द्रीय प्राधिकरण से अपेक्षित हैं।

16. राज्य विधिक सहायता निधिः—

(1) राज्य प्राधिकरण, राज्य विधिक सहायता निधि नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात :—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार संदत्त सभी धनराशि या दिए गए अनुदान,
(ख) कोई ऐसे अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण को, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाये,
(ग) राज्य प्राधिकरण, द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्य श्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम.

(2) राज्य विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात् —

(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे,
(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च,
(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति राज्य प्राधिकरण से अपेक्षित हैं.

17. जिला विधिक सहायता निधि :–

(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण जिला विधिक सहायता निधि नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त सभी धनराशि या दिए गए अनुदान,
(ख) कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण को दिऐ जाए,
(ग) जिला प्राधिकरण द्वारा, किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम.

(2) जिला प्राधिकरण निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा. अर्थात्–

(क) धारा 10 और धारा 11 ख में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे,
(ख) कोई अन्य व्यय जिन्हे ंजिला प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित हैं.

18. लेखा और संपरीक्षा :–

(1) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में ''प्राधिकरण'' कहा गया है) उपयुक्त लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और एक वार्षिक लेखा विवरण जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखा, तथा तुलनपत्र भी है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परामर्श से, विहित की जाएं.
(2) प्राधिकरण के लेखा की संपरीक्षा, भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जो उनके द्वारा विनिर्दष्ट किया जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय, संबंधित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संदेय होगा.
(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को और इस अधिनियम के अधीन, किसी प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा के अधीन, के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किये गए किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को सरकार के लेखा की संपरीक्षा के संबंध में और, विशिष्टतया उन्हें बहियों, लेखाओं के संबंधित प्रमाणकों, और दस्तावेजों तथा कागजातों को पेश किए जाने की मांग करने का और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
(4) भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस निमित उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा, उन पर संपरीक्षा रिर्पोट सहित, प्राधिकरण द्वारा, प्रतिवर्ष यथा स्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा.
(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिर्पोट, उनके प्राप्त होने के पश्चात्, यथा शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी.
(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र , राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगी.

19. लोक अदालतों का आयोजन :–

(1) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों ओर स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी.
(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने–

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, और
(ख) अन्य व्यक्तियों,, से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं.
(4) उपधारा (3) की निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं.
(5) किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिनके लिए लोक अदालत आयेाजित की जाती हैं–
(।) समक्ष लम्बित किसी मामले की बाबत् या
(।।) उसकी अधिकारिता भीतर आने वाले, किसी ऐसे विषय की बावत जो उसके समक्ष नही लाया गया है,किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारो के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगीपरन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं हैं,

लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान :–

(1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (।) में निर्दिष्ट किसी मामले में :–
(।) उस मामले को परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए–

(क) उसके पक्षकार सहमत है, या
(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय को प्रथम दृष्टता समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएं है, या

(।।) न्यायालय को समाधान हो जाता हे कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान दिए जाने के लिए समुचित मामला हे, तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :–
परन्तु खंड (।) को उपखंड (ख) या (।।) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को ऐसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं.
(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) की खंड (।।) में निर्दिष्ट किसी मामले के किसी एक पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले को लोक अदालत की अवधारणा के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी.परन्तु लोक अदालत को कोई मामला अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नही
(3) जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसे कोई निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या परिनिर्धारण करेगी.
(4) प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते

समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या परिनिर्धारण करने के लिए अत्याधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्या, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी.
(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नही दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझाोता या परिनिर्धारण नही हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा, उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जाएगा.
(6) जहां लोक अदालत द्वारा कोई अधिनिर्णय इस आधार पर नहीं किया जाता है कि पक्षकारों के बीच उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझोता या परिनिर्धारण नही ंहो सका है वहां वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय से उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी.
(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस तक उपधारा (1) के अधीन ऐसा निर्देश करने के पूर्व कार्यवाही की गई थी.

लोक अदालत के अधिनिर्णय :–

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले मे समझौता कराया या परिनिर्धारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन उपबन्धित रीति से लौटा दी जाएगी.
(2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नही होगी.

22. लोक अदालत की शधिर्णय :–

(1) लोक अदालत की, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित में से किसी विषय की बाबत विचारण करते समय, निहित होती हैं, अर्थात् –

(क) किसी साक्षी को समन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा कराना,
(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसको पेश किया जाना.
(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना.
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना, और
(ड) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत को उसके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी.
(3) लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, धारा, 210 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझाी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

अध्याय 7–प्रकीर्ण

प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना :–

केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों के सदस्य जिनके अंतर्गत यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव भी हे और ऐसे प्राधिकरणों, समितियों के अधिकारी ओर अन्य कर्मचारी तथा लोक अदालतों के सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएगे.

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :–

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार,
(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष सदस्यों या सदस्य सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों.
(ग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों,
(घ) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुका विधिक सेवा समितियों, या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों, या
(ड) उपखंड (ख) से उपखंड (घ) में निर्दिष्ट किसी मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष सदस्य, सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नही होगी.

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना :–

इस अधिनियम के उपबन्धों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत, किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा.

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :–

(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत न हों, कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों,परन्तु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नही किया जाएगा.
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे जारी किए जाने के पश्चात यथाशीर्घ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा.

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :–

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी.
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा.अर्थात् :–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,
(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों–सचिव का अनुभव और अर्हताएं तथा उसकी शक्तियां और कृत्य,
(ग) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों–सचिव की पदावधियां तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें.

(घ) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या.
(ड.) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते.
(च) धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,
(छ) धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं,
(ज) धारा 3क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते.
(झ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उनकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा,
(ञ) धारा 18 के अधीन वह रीति जिसमे केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के लेखा रखे जाएंगे,
(ट) धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं
(ठ) धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन अन्य विषय,
(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाएं.

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :–

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी.
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अथार्त् –

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,
(ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य
(ग) धारा 6 के उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,
(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,
(ड) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा वेतन और भत्ते,
(च) धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव ओर अर्हताएं,
(छ) धारा 8क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ओर उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें और उन्हें संदेय वेतन और भत्ते,
(ज) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या अनुभव और अर्हताएं,
(झ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,
(ञ) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,
(ट) धारा 11क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या अनुभव और अर्हताएं,

(ठ) धारा 11क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,
(ड) धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते
तथा वेतन और भत्ते,
(ढ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवा के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उसकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा,
(ण) धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,
(त) कोई अन्य विशेष जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाएं.

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति :–

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों.
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,अर्थात्–

(क) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य,
(ख) धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदाविधियां तथा उनसे संबंधित अन्य शर्ते–

29 क. राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति :–

(1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से अंसगत न हों.
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य.
(ख) धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य,
(ग) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,
(घ) धारा 8क की उपधारा (4) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्ते.
(ड.) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्ते,
(च) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव ओर अर्हताएं,
(छ) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य.
(ज) धारा 11 क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्ते.

नियमो और विनियमों का रखा जाना :–

(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र , संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमित सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दौनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नही बनाया जाना चहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा.
(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा.